क्रमांक एवं आदेश की तिथि	अपर उपायुक्त न्यायालय साहेबगंज **R.M.A** वाद सं०-15/2016-17	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३

18/01/23

मुस्ताक मेंहदी – अपीलार्थी

बनाम्

मो० इन्तेखाव – उत्तरवादी

अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,राजमहल के नामांतरण अपीलवाद सं0 – 10/05–06 में पारित आदेश के विरूद्व उपायुक्त साहेबगंज के न्यायालय में वाद सं0 – 14/2011–12 के तहत् वाद की सुनवाई प्रारंभ की गई। विभिन्न तिथियों पर सुनवाई के उपरांत वाद को अपर उपायुक्त साहेबगंज के न्यायालय में दिनांक – 03/05/20216 को अंतरित किया गया।

– अपर उपायुक्त के न्यायालय में वाद सं0 – R.M.A Case N0 – 15/2016–17 के तहत वाद की सुनवाई प्रारंभ की गई। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विभिन्न तिथियों पर सुनवाई प्रारंभ की गई

अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित वाद की सुवनाई दिनांक – 06/4/22 से प्रारंभ की गई।

<u>विवादित भूमि की विवरणी</u>

मौजा	थाना नं0	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
01	02	03	04	05
काकजोल	66	206	636	00–02–08 धूर

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत् किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Note of Argument समर्पित किया गया है।

– अंचल अधिकारी द्वारा Mutation case No - 327/1980–81 में पारित आदेश के अनुसार इस वाद के अपीलार्थी के नाम खाता नं0 – 206, दाग नं0 – 636 रकवा 2 कट्ठा 8 धूर जमीन की जमाबंदी कायम है।

– अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि 17–6–79 को हुए आपसी वंटननामा में उक्त भूमि अपीलार्थी के हिस्से में

आई है। वंटननामा के आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खाता सं0 – 206, दाग नं0 – 636 ,रकवा 2 कट्ठा 8 धूर जमीन की जमाबंदी कायम की गई है। Mutation Case No – 327/80–81 कुल 09 जमाबंदी 19 दाग रकवा – 15 बीघा 01 कटटा 17 1/2 धूर जमीन जिसमें जमाबंदी सं0 – 206 रकवा – 2 कट्ठा 8 धूर जमीन भी शामिल है। जिसकी जमाबंदी कायम की गई। अपीलार्थी के नाम उक्त जमीन की जमाबंदी पंजी ।। में वर्ष 1980 से कायम है जिसपर उत्तरवादी का कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई हैं 24 वर्ष के उपरांत उत्तरवादी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में अपीलवाद दायर करना कालबाधित की श्रेणी में है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का लगान रसीद बराबर प्राप्त किया है। तथा सरकार को भू–लगान का भुगतान किया गया है।

– उत्तरवादी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा Note of Arguement समर्पित कर विभिन्न तिथियों पर अपनी बात रखी है। उनके अनुसार मौजा काकजोल का जमाबंदी सं0 – 206, दाग नं0 – 636 खतियान में हफिजूर रहमान, अब्बास अली शेख, मो0 सईद शेख एवं अब्दूल हुसैन शेख समी पिता – स्व0 यूसूफ शेख के नाम से दर्ज है। जिसमें से दो भाई अब्बास अली शेख , एवं मो0 साहिद शेख उक्त जमाबंदी की सभी जमीन को छोड़कर अन्य जमाबंदी में हिस्सा प्राप्त किये थे। उसके बाद दाग नं0 – 636 का कुल रकवा 2 कट्ठा 8 धूर जमीन हफिजूर रहमान एवं आबुल हुसैन के संयुक्त दखल भोग में आया। खतियानी रैरूत के तीन पुत्र क्रमशः 1) अब्दूल रौफ 2) अब्दुल रज्जाक 3) मुस्ताक मेंहदी क बीच 17–6–79 को हुए आपसी बंटननामा के आधार पर अंचल अधिकारी बरहरवा द्वारा नामांतरण वादसं0 327/1980–81 में जमाबंदी नं0 – 206, दाग नं0 – 363, रकवा 2 कट्ठा 8 धूर जमीन मुस्ताक मेंहदी के नाम दाखिल खारिज हो गया है जबकि उक्त दाग नं0 – 636 की जमीन हजिजूर रहमान एवं आबूल हुसैन शेख की संयुक्त संपत्ति थी।

उभय पक्षों के के विज्ञ अधिवक्ता का Note of

Arguement तथा बहस की सुनवाई के वाद निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होता है। दिनांक – 17–6–79 को अब्दुल रउफ, अब्दुल रज्जाक एवं मुस्ताक मेंहदी सभी का पिता – स्व0 हाजी हाफिज रहमान के द्वारा आपसी वंटननामा में किसी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है। उस वंटननामा के अनुसार जमाबंदी सं0 – 206, दाग नं0 636 का कुल रकवा 2 कट्टा 8 धूर अपीलार्थी के हिस्से में आया और इनके नाम पंजी ॥ में संधारित हुआ।

– प्रतिवादी की ओर से वंटननामा के और अंकित दाग नं0 रकवा पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि खाता सं0 – 206, दाग नं0 – 636 रकवा 2 कट्ठा 8 धूर जमीन के अलावें प्रतिवादी वंटननामा को जायज मानते है।

यदि वर्णित जमीन के अलावे वंटननामा जायज ढंग से किया गया है तो पुनः 25/7/96 तथा 20/12/10 को वंटननामा से संबंधित Agreement Paper को समर्पित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है।

– दिनांक – 17–6–79 को किये गए वंटननामा के आधार पर कायम जमाबंदी पर उत्तरवादी का भी विरोध केवल वाद की अंकित भूमि पर है।

– वंटननामा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दखल कब्जा की पुष्टि करने के उपरांत ही जमाबंदी कायम की जाती है संबंधित भूमि का लगान रसीद अपीलार्थी के नाम से निर्गत किया गया है जो उसके दखल को संपुष्ट करता है।

उत्तरवादी पक्ष के द्वारा कभी भी Mutation Proceding में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

– वंटननामा और दखल के आधार पर ही अंचल अधिकारी द्वारा खाता सं0 – 206, दाग नं0 – 636 रकवा 02 कट्टा 8 धूर जमीन की जमाबंदी अपीलार्थी के नाम से की गई है।

इस वंटननामा से उत्तरवादी पक्ष को कोई आपत्ति है तो नियमतः सिविल न्यायालय में Partition Suit दायर करना चाहिए था।

– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजमहल द्वारा अपीलवाद सं0 10/05–06 दिनांक – 22–11–11 मे पारित आदेश जिसमें खाता सं0 206, दाग नं0 – 636 कुल रकवा 2 कट्ठा 4 धूर जमीन का 50 % अर्थात 1 कट्ठा 4 धूर अपीलार्थी के पक्ष में दाखिल–खारिज किये जाने के आदेश किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है, कोई राजस्व न्यायालय को पारिवारिक संपत्ति का वँटवारा या उसका हिस्सा/title निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा अपीलवाद सं0 – 10/05–06, दिनांक – 22–11–11 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

उक्त स्थिति में मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि विवादित भूमि की जमाबंदी लंबे समय से कायम है। किसी की पारिवारिक बँटवारा/title/Family partition/share का निर्धारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। कायम जमाबंदी के आधार पर अपीलार्थी के दावे को संपुष्ट किया जाता है

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

<u>आदेश की प्रति उभयपक्षों को भेजें।</u>

लेखापित एवं संशोधित।

18/01/23

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

18/01/23

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.02.14 13:13:26 +05:30
Location: 192.168.1.8